


सार्वजनिक



गोदावरी नगरपालिका कार्यालय, गोदावरी |

गोदावरी नगरपालिका - २५/०९/२०२१ ब्राह्मण वाडा परिवार -
०६२६७/०१०२१, गोदावरीपुर ०७८ ८०-२०२११०४६०३०६२६७
१११ - ४०, उत्तर शहर राजस्थान संकेत - २००६
चाग - विस्तरी परम्परा नियंत्रण विभाग गोदावरी

प्रियलोक - गोदावरी |
२५/०९/२०२१

मेरी शुभ लेख शहादत अप्रूवित कर आगे चलाए

उपर्योगात्मक चीज़ियों के विवर निम्न वित्त द्वारा है।
एकाग्रित छापाप्रिय चंद्रमा |





मण्डलः लखनऊ, जनपदः लखनऊ
न्यायालय अपर उप जिलापिकारी सदर

वाद संख्या:- 06267/2021

श्री मुरु तेग बहादुर एजूकेशनल ट्रस्ट वनाम सरकार
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- 7202110460306267
अंतर्गत धारा:- ४०, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश तिथि:- 25/09/2021

अतिम आदेश

प्रसुत वाद की वार्ताओं वाले श्री मुरु तेग बहादुर एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा निवेशक गोहन रिह पुर कुलदीप निः निः ५५४/१८७, शान्ति नगर ७०० बरहा, आसामबाग, लखनऊ के प्रार्थना पत्र दिनांक 19.03.2020 मध्य मासम वाले के आधार पर प्राप्तम वाले गई। जिसम जवागत कराया गया कि वार्तीय भूमि गाठा संख्या:- 1237ख/०.८९१०४० स्थित ग्राम हिर्व परगना निगोहा तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ जिसे वार्ती ने बैनामा द्वारा क्राप किया था जो वार्ती के नाम संक्षमांशीय भूमिधर के रूप में राजस्व उभिलेख में दर्ज कराया गया है तथा वार्ती का उक्त भूमि पर करबा है। वार्ती की उपरोक्त भूमि के असा प्राप्त आवासीय गतिविधियां गौजूद हैं तथा कार्यालय कार्य चल रहे हैं। वार्ती अपनी भूमि को आवासीय रूप में उपयोग करना चाहता है इसी उद्देश्य से वार्ती ने उक्त भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा काफी मात्रा में गोरग बालू आदि एकत्रित कर रखा है। उपरोक्त भूमि पर वार्ती काफी असी से कृपि कार्य नहीं कर रहा है और न ही उक्त भूमि पर उसके द्वारा कुकुट पालन, मस्तव पालन आदि का कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि पर वार्ती द्वारा कृपि कार्य नहीं किया जाएगा। वार्ती द्वारा वार्तीय भूमि गाठा संख्या:- 1237ख/०.८९१०४० में स्थित ग्राम हिर्व परगना निगोहा तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया।

४२)
27/09/2021

प्रसुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार मोहनलालगंज द्वारा प्राप्ति:- तथा जाँच आख्या धारा ४० के अन्तर्गत प्रक्षमापन हेतु प्राप्ति निः ५ के अन्तर्गत पर जाख्या दिनांक 15.03.2021 घोषित की गई। तहसीलदार मोहनलालगंज द्वारा अपनी जाख्या में अंगत कराया गया कि प्रक्षमत वार्तीय भूमि गाठा संख्या:- १२३७ख/०.८९१०४० में स्थित ग्राम रिसर्व परगना निगोहा तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ का वार्ती संक्षमांशीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। वार्तीय भूमि पर करबा दर्ज है। प्रक्षमत भूमि पर मौके पर निर्माण कार्य किया जा रहा है और भूमि मौके पर वार्ती पर्याप्त ताकी तुर्क है। कुकुट पालन, मस्तव पालन, धारावानी आदि के प्रयोग में भूमि नहीं लायी जा रही है और मौके पर निर्माण के विट्ठिय बनी तुर्क है। भूमि तहसील मोहनलालगंज पोजिन के अन्तर्गत ग्राम की नहीं है। तहसील जाख्या के साथ यो संक्षमांशी आकार पर्याप्त एवं ५५ गाठा संख्या:- 1237 ख से सम्बन्धित द कार्यालय उप निवन्धक मोहनलालगंज अंगत कराया गया कि वार्ती ने १३५९ फराली का इन्तराल बुखरा तथा वार्तीय भूमि फोटोग्राफ की छायाप्रति प्रसुत की गई। वार्ती द्वारा रु० १६५००/- की धनराशि का बालान एवं १६५००/- का स्टाम्प जाख्या गया। तहसीलदार गोहनलालगंज द्वारा वार्तीय भूमि गैर प्रयोजन घोषित किए जाने हेतु आख्या घोषित की गई। दिनांक 23.09.2021 को प्राप्त कुमार लेखायात, ईचार्च केरि रिसर्व द्वारा व्यापालय में उपस्थिता होना वार्ता कराया गया जिसमे कहा गया कि गाठा संख्या 1237 ख स्थित ग्राम रिसर्व परगना निगोहा तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ के श्री मुरु तेग बहादुर एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा निवेशक गोहन रिह पुर कुलदीप निः ५५४/१८७, शान्ति नगर ७०० बरहा, आसामबाग, लखनऊ संभूषि धारा के जरिए बैनामा लक्ष्मणीय भूमिधर दर्ज करायी है। वार्तीय भूमि जो धारा आकार पर्याप्त ४१ एवं ४५ में श्रीमती दिलराजा बैना रामेश्वर निः द्वायातपुर के नाम अंकित है। श्रीमती दिलराजा द्वारा पर्याप्त भूमि जरिए देनाम स्थाननिरीक्त हुई। वार्तीय भूमि पर कोई सहायतेदार नहीं है। निर्माण से सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकृत प्रभाव नहीं पड़ता। वार्तीय भूमि महानगर यौजन में शामिल नहीं है।

पत्रकदली का अवलोकन व परिशोधन किया गया। प्रधगत उत्तिष्ठित गाठा संख्या संक्षमांशीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त जाख्या दिनांक 15.03.2021 के आधार पर वार्तीय भूमि गाठा संख्या 1237ख/०.८९१०४० में स्थित ग्राम रिसर्व परगना निगोहा तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है।

गत: तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त जाख्या दिनांक 15.03.2021 के आधार पर वार्तीय भूमि गाठा संख्या 1237ख/०.८९१०४० में स्थित ग्राम रिसर्व परगना निगोहा तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृषिक घोषित किया जाना विधि संगत प्रतीत होता है।

आदेश

उत्तर: बांधीध भूमि गांडा रास्थाना- 1237ख/0.8910हें०मेरित ग्राम सिर्फ परगना निर्गोहीं तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को मालगुजारी 60 गा से मुख्या क्षेत्रे हुए प्रश्नात भूमि को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। यह धोधणा राजस्व की हृषि से की जा रही है। अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होता। हुस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण तखनऊ विकास बोर्ड मालायोजना 2021 के अनुसार ही अनुमत्य होता। यदि अधिक्षय में उच्च भूमि पर कृषि, मर्स्य पालन, कुकुर्काट पालन, बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-४२उपराजस्वसंहिता अधिन के अन्तर्गत तखनात तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करें। तहसीलदार वी अप्तन आख्या आदेश का आग रहेगी। तहसीलदार मोहनलालगंज को आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ घोषित कि उपरोक्त वर्गीत खाते/गाँट के सम्बन्ध में एक नवया नवी दैवार कराकर अधिसेको के साथ रखवाये जिसमे उन भाटो को जो कृषि, बागवानी पा पशुपालन विसके अन्तर्गत मर्स्य पालन एवं कुकुर्काट पालन के प्रयोजनो के लिए काम मे नहीं लाये जा रहे हैं, अलग-जलग रेंगो मे दर्शाये। खाते मे प्रावेक नाम के लिए देय मालगुजारी का भी विभाजन किया जाये कि वर्तमान पैमालीशी नवसो और भूमि के छास्त्रिक उपयोग के आधार पर उक्त प्रक्षेपणीत भाग की हददूनी कराये। हदबन्दी का छर्चा आवेदक संकामीय भूमिधर से नियत मद में जमा कोष करवाये। पत्रावली पर प्रस्तुत रास्य एवं तथा यदि कभी रोजान मे आगे पर अधिक्षय एवं फर्जी याए जाते हैं तो वह आदेश स्वतः निरस समझा जाएगा। पत्रावली बाद आवश्यक वार्तायाही संचित अधिसेकागार हो।

25/09/2021
(इन्द्रोन)

अपर उपजिलाधिकारी सदर,
लखनऊ।

उत्तर: २७/०९/२०२१
उत्तर देनारा का दिनांक २७/०९/२०२१
उत्तर गोपनी नहीं का दिनांक २७/०९/२०२१
उत्तर देने का दिनांक २७/०९/२०२१
स्वामी की जमा २७/०९/२०२१ १००%
२७/०९/२०२१ १००%

उत्तराधिकारी सदर-

वार्ता
उत्तराधिकारी/सदर वार्ता
२७/०९/२०२१

वार्ताकारी सही—
दूसरा सही—
वार्ता कारी—
ठाकुराधिकारी (प्रोली कांपी)
२७/०९/२०२१



4
13

અમલ અને ઉત્તીજનાઈએ તરીકે સાચ, જાણ-જાણ ।

421
27/09/2021
અમલ આદ્યત્ત દિન/ઓ:- 25/09/2021 લાખે વિભાગ -
06267/2021, ગાંધીજીની જાનરૂપ - T20210460306267
દિવાન - 10, અલોર રુપદ્વાર રાજ્યક્રમ સંદર્ભ - 2006.
જ્ઞાન - પ્રસાદી પરામાત્મા દ્વારા કરેલું હશે એવું કે જે જ્ઞાન
જ્ઞાન - જાણ-જાણ ।

તીવ્ય કૃત્યા અનુષ્ઠાન કરું જરૂર હશે ।

અમલ આદ્યત્ત દિન/ઓ:- 25/09/2021

અમલ આદ્યત્ત દિન/ઓ:- 25/09/2021





मण्डल:- लखनऊ, जनपद:- लखनऊ
न्यायालय अपर उप निलापिकारी सदर

वाद संख्या:- 06267/2021

श्री गुरु तेग बहादुर एजूकेशनल ट्रस्ट वनाम सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202110460306267

अंतर्गत धारा:- 80, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 25/09/2021

अतिम आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री गुरु तेग बहादुर एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा निदेशक मोहन सिंह पुत्र कुलदीप सिंह निः 554/187, शान्ति नगर छोटा बरहा, आलमबाग, लखनऊ के प्रार्थना पत्र दिनांक 19.03.2020 मय शपथ पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गई। जिसमें अवगत कराया गया कि वादीय भूमि गाठा संख्या- 1237ख/0.8910ह० स्थित ग्राम सिर्स परमाना निगोहा तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ जिसे वादी ने बैनामा द्वारा क्रय किया था जो वादी के नाम संकामणीय भूमिधर के रूप में सञ्चाल अगिलेख में दर्ज कराया गया है तथा वादी का उक्त भूमि पर कब्जा है। वादी की उपरोक्त भूमि के आस-पास आवासीय गतिविधियां मौजूद हैं तथा काफी तेजी से निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा काफी ग्राम में मौरंग बालू आदि एकत्रित कर रखा है। उपरोक्त भूमि पर वादी काफी असे से कृषि कार्य नहीं कर रखा है और न ही उक्त भूमि पर उसके द्वारा कुकुरां पालन, मत्त्य पालन आदि का कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि पर वादी द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा। वादी द्वारा वादीय भूमि गाठा संख्या- 1237ख/0.8910ह०मे स्थित ग्राम सिर्स परमाना निगोहा तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृतिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया।

421
23/09/2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार मोहनलालगंज द्वारा प्रारूप-1 तथा जांच धारा 80 के अन्तर्गत प्रखापन हेतु प्रारूप निः 55 के अन्तर्गत पर आड्डा दिनांक 15.03.2021 प्रेषित की गई। तहसीलदार मोहनलालगंज द्वारा जानी आड्डा में अवगत कराया गया कि प्रश्नगत काटीय भूमि खाता संख्या 913गाठा संख्या- 17 इ/ख/0.8910ह० स्थित ग्राम सिर्स परमाना निगोहा तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ का वादी संकामणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। वादीय भूमि परस्ती दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर गोके पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, और भूमि गोके पर खाली पड़ी हुई है। कुकुरां पालन, मत्त्य पालन, बायाकानी आदि के प्रयोग में भूमि नहीं लायी जा रही है और गोके पर निर्माण व विद्युत विद्युत दुर्दृश्य है। भूमि लखनऊ महानगर योजना के अन्तर्गत ग्राम की नहीं है। तहसील आड्डा के साथ जो चक्कन्दी अकार पत्र-41 एवं 45, गाठा संख्या- 1237ख से सांख्यित व कार्यालय उप नियंत्रक मोहनलालगंज जनपद लखनऊ का भार मुक्त प्रमाण पत्र तथा प्रगती में 1359 फैसली का इनाखाब खसरा तथा वादीय भूमि फोटोग्राफ की छापापति प्रस्तुत की गई। वादी द्वारा रु. 16500/- की परनायि का घलान एवं 16500/- का राज्य यात्रा किया गया। तहसीलदार मोहनलालगंज द्वारा वादीय भूमि गोके प्रयोजन घोषित किए जाने हेतु आड्डा प्रेषित की गई। दिनांक 23.09.2021 को अरुण कुमार लेखपाल, ईवार्ज सेत्र सिर्फ द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराया गया जिसमें कहा गया कि गाठा संख्या 1237 ख स्थित ग्राम सिर्स परमाना निगोहा तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ के श्री गुरु तेग बहादुर एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा निदेशक मोहन सिंह पुत्र कुलदीप सिंह निः 554/187, शान्ति नगर छोटा बरहा, आलमबाग, लखनऊ सम्पूर्ण अंश के जरिए बैनामा संकामणीय भूमिधर दर्ज कर्तव्यी है। वादीय भूमि जो गोके आकार पत्र 41 एवं 45 में शीघ्रता दिलाराजा बेवा रामेश्वर निः 10 दिलारपुर के नाम अकिता है। शीघ्रता वादीय भूमि पर स्थित है। निर्माण से सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वादीय भूमि महानगर योजना में वर्तमान में नहीं है।

प्राप्तवती का आवृत्तीकरण व परिशीलन किया गया। प्रश्नगत उल्लिखित गाठा संख्या संकामणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। तहसीलदार मोहनलालगंज द्वारा जानी आड्डा में अवगत कराया गया है कि वादीय भूमि पर गोके पर निर्माण है। लेखपाल सिर्स द्वारा भी अपने बयान दिनांक 23.09.2021 में कहा गया है कि निर्माण से सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में किसी के द्वारा कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार वाद निर्विवाद घेजी का है।

अतः तहसीलदार मोहनलालगंज से प्राप्त आड्डा दिनांक 15.03.2021 के आधार पर वादीय भूमि गाठा संख्या- 1237ख/0.8910ह० स्थित ग्राम सिर्स परमाना निगोहा तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को अकृतिक घोषित किया

आदेश

अतः वादीय भूमि गाठा संख्या- 1237ख/0.8910हेठमे स्थित ग्राम रिसर्व परगना निरोहा तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ को मालगुजारी 60 ख से मुक्त करते हुए प्रश्नगत भूमि को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अविधिक) घोषित किया जाता है। यह घोषणा राजस्व की दृष्टि से की जा रही है। अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मस्त्य पालन, कुकुट पालन, बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो पारा-82उ0प्र0राजस्वसंहिता अधिनो के अनुर्गत तहकाल तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करेगे। तहसीलदार की अदातन आख्या आदेश का अंग रहेगी। तहसीलदार मोहनलालगंज की आदेश की प्रति इस ग्रामीण के साथ प्रेरित हिं उपरोक्त वर्णित खाते/गाटे के सम्बन्ध में एक नवशा नजरी तैयार कराकर अभिलेखों के राष्ट्र रखदापे जिसमें उन गाटों को जो कृषि, बागवानी या पशुपालन जिसके अनुर्गत मस्त्य पालन एवं कुकुट पालन के प्रयोजनों के लिए काम में नहीं लाये जा रहे हैं, अलग-अलग रूपों में दर्शाये। जाते में प्रत्येक भाग के लिए देय मालगुजारी का भी विभाजन किया जाये कि वर्तमान पैमाली नवशो और भूमि के वास्तविक उपयोग के आधार पर उक्त प्रख्यापिता भाग की हुदबन्दी कराये। हुदबन्दी का खर्च आवेदक संकायपीय भूमिपर से निपत्त मद में जमा कोष करवाये। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य पटि कभी संशान में आने पर अविधिक एवं फर्जी पाए जाते हैं तो यह आदेश खतः निरस्त समझा जाएगा। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संचित अभिलेखागार हो।

25/09/2021
(इन्द्रसेन)

अपर उपजिलापिकारी शदर,
लखनऊ।



लखनऊ उपजिला परिषद - २७/०९/२०२१
लखनऊ देवगढ़ा वा विधायिक २७/०९/२०२१
लखनऊ जिला - निम्न वा विधायिक २७/०९/२०२१
लखनऊ रिकॉर्ड वा विधायिक २७/०९/२०२१
लखनऊ विधायिक वा विधायिक २७/०९/२०२१

लखनऊ ग्रामीण-

१२

वहादा
लखनऊ उपजिला परिषद विधायिक वा विधायिक विधायिक

विधायिक वा - २७/०९/२०२१
लखनऊ जिला - २७/०९/२०२१ (मालगुजारी)
लखनऊ विधायिक वा विधायिक २७/०९/२०२१